Separate cell for drought affected areas

2518. DR. NARREDDY THULASI REDDY: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether there is any proposal to set up a separate cell for the development of frequent drought affected areas like Rayalseema in Andhra Pradesh and other areas in the country;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) The management of natural disasters is primarily the responsibility of the State Government. The Planning Commision has advised the States to integrate disaster management programmes in the development process:

दिल्ली दुग्ध योजना में अनुसूचित जातियों के अधिकारियों पर हमला

2519. **श्रीमती सत्या बहिन :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली दुग्ध योजना में कार्यरत अनुसूचित जातियों के अधिकारियों पर हमले के कुल कितने मामले पुलिस में दर्ज कराये गये है और सरकार ने हमलावरों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ;

(ख) इन मामलों में दिल्ली दुग्ध योजना के कितने कर्मचारी अंतर्ग्रस्त हैं और सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) सरकार ने अनुसूचित जातियों के अधिकारियों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०वी० लेंका): (क) और (ख) दिल्ली दुग्ध योजना में कार्यरत अनुसूचित जाति के अधिकारियों पर हमले के दो मामले पटेल नगर पुलिस थाने में दर्ज किए गए हैं। इन मामलों में अन्तर्ग्रस्त दिल्ली दुग्ध योजना के छ कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया तथा उन मामलों पर न्यायालय में मुकदमा चल रहा है । दिल्ली दुग्ध योजना ने उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाही भी शुरू कर दी ।

(ग) दिल्ली पुलिस ने, विवरण (**नीचे देखिये**) के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के सम्मान तथा सुरक्षा के लिए प्रारंभिक उपायों की सूची सहित एक परिपत्र सभी पुलिस बलों को जारी किया है । दिल्ली दुग्ध योजना परिसर में अप्राधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश को रोकने के लिए विभिन्न स्थलों पर सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। पुलिस अधिकारियों को, दिल्ली दुग्ध योजना के महाप्रबंधक के निवास-स्थान तथा कार्यालय में सुरक्षा प्रबन्ध करने का अनुरोध किया गया है ।

विवरण

परिपत्र

भारत सरकार ने, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की सुरक्षा तथा उन पर अत्याचारों को रोकने के लिए बहुत से अधिनियम/योजनाएं बनाई हैं, जिनका विवरण नीचे दिया गया है :–

(क) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचारों को रोकना) अधिनियम ।

(ख) नागरिक अधिकारों का संरक्षण अधिनियम, 1955 ।

(ग) बन्धुआ मजदूर प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 ।

(घ) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1946 ।